रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 1997/अग्रहायण 28, 1919

No. 500] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 1997/AGRAHAYANA 28, 1919

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 1997

सं. 71/97-सी.शु.—(गैर-टैरिफ)

सा. का. नि. 716 (अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा शुल्क अधिनयम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क सदन अभिकर्त्ता अनुज्ञापन विनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम सीमा शुल्क सदन अभिकर्त्ता अनुज्ञापन (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त विनियमों में, विनियम-9 में, उप-विनियम-(5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम को रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) विनियम-10 के तहत नियमित लाइसेंसधारी अपने किसी कर्मचारी अथवा भागीदार अथवा निदेशक को अपनी एजेंसी के किसी ऐसे व्यक्ति के अलावा जिसने उप-विनियम (1) में उल्लिखित परीक्षा पास की है, ऐसे नियमित लाइसेंसधारियों की ओर से उप-विनियम-(1) में उल्लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं ।"

[फा.सं. 502/108/96-सी.शु.-6]

रंजना झा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल विनियम दिनांक 19-3-1984 की अधिसूचना सं. 85/84-[सा.का.नि. सं. 220(अ) दिनांक 19-3-1984] द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और उन्हें बाद में दिनांक 17-9-1984 की अधिसूचना सं. 240/84 [सा. का. नि. सं. 667(अ) दिनांक 17-9-1984] और दिनांक 15-11-1991 की अधिसूचना सं. 7491 [सा. का. नि. सं. 690(अ) दिनांक 15-11-1991] और दिनांक 30-4-1982 की अधिसूचना सं. 35/92-गै. टै. सी.शु. (सा. का. नि. सं. 448(अ) दिनांक 30-4-1992) और दिनांक 15-9-1997 की अधिसूचना सं. 44/95-सी.श. (गै.टै.) [सा. का. नि. सं. 540(अ) दिनांक 15-9-1997] द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 1997

No. 71/97–Customs (NT)

G.S.R. 716(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 146 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Customs House Agents Licensing Regulations, 1984 (hereinafter referred to as the said Regulations), namely :—

1. (1) These regulations may be called the Customs House Agents Licensing (Second Amendment) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the said regulations, in regulation 9, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(5) The holders of a regular licence under regulation 10 may authorise one of their employees or partners or directors, to appear for the examination referred to in sub-regulation (1), on behalf of such holders of regular licence in addition to the person of their agency who has passed the examination referred to in sub-regulation (1)."

[F. No. 502/108/96-CUS.-VI.]

RANJANA JHA, Under secy.

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India vide notification No. 85/84 dated 19/3/84 [G.S.R. No. 220(E) dated 19/3/84] and were subsequently amended vide notification No. 240/84 dated 17/9/74 [G.S.R. No. 667(E) dated 17/9/84] and notification No.74/91 dated 15/11/91 [G.S.R. No. 690 (E) DATED 15/11/91 and notification No. 35/92—N.T. Customs dated 30/4/92 [G.S.R. No. 448(E) dated 30/4/92] and notification No. 44/97— Customs (N.T.) dated 15/9/97 G.S.R. No. 540(E), dated 15/9/97].

by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997